GK/GS का

महा संग्राम

POLITY

PRESIDENT & VICE-PRESIDENT

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

हमारे **TOPIC EXPERT** के साथ

देखें शाम 07:00 बजे

LIVE

BY GS GURU

Like/Share

Important Articles

Article	Subject Matter
52	The President of India
53	The executive power of the President
54	Election of the President
55	Manner of Election of the President
56	Term of office of president
57	Eligibility of re-election
58	Qualification for election as President
59	Conditions of the president's office
60	Oath or affirmation by the President
61	Procedure for impeachment of the President

Article	Subject Matter
52	भारत के राष्ट्रपति
53	राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति
54	राष्ट्रपति का चुनाव
55	राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
56	राष्ट्रपति के पद की अवधि
57	पुनर्निर्वाचन की पात्रता
58	राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता
59	राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
61	राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया

Article	Subject Matter
62	Time of holding an election to fill a vacancy in the office of President
65	Vice president to act as president or to discharge his functions
71	Matters relating to the election of the President
72	Powers of the president to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases
74	Council of Ministers to aid and advise the President
75	Other provisions as to ministers like an appointment, terms, salaries, etc.
76	Attorney General of India
77	Conduct of business of the government of India
78	Duties of Prime Minister with respect to the furnishing of information to the president etc.

GS/ GK का महासंग्राम

Article	Subject Matter
62	राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय
65	उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए
71	राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले
72	क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ
74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
75	मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि।
76	भारत के महान्यायवादी
77	भारत सरकार के कारोबार का संचालन
78	राष्ट्रपति आदि को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य

Q.1 Which Article of the Constitution of India that there shall be a President of India?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ?

20

(a) Article 58 / अनुच्छेद 58

(b) Article 54/ अनुच्छेद 54

(c) Article 55 / अनुच्छेद 55

(d) Article 52 / अनुच्छेद 52

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के संबंध में प्रावधान है।
- According to Article 52 of the Indian Constitution, there shall be a President of India. According to Article 54, the President is elected by an electoral college. Article 58 provides for the qualifications for being elected as the President.

Q.2 Who among the following does not take part in the election of the President??
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं ?

20

(a) दोनों सदन के चुने हुए सदस्य/elected members of both the houses

(b) विधानसभा के चुने हुए सदस्य/Elected members of the Legislative Assembly

(c) दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य /Elected members of Delhi and Puducherry Legislative Assemblies

(d) विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य/Nominated members of the Legislative Assembly

- संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं- (1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, (2) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, (3) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा अंतःस्थापित)। संसद (लोक सभा तथा राज्य सभा) और विधान सभा के नामांकित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।

- Article 54 of the Constitution provides for the members of the Electoral College of the President. It consists of the following members- (1) Elected members of both Houses of Parliament, (2) Elected members of State Assemblies, (3) Elected members of Delhi and Puducherry Legislative Assemblies (inserted by 70th Constitutional Amendment, 1992). The nominated members of the Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) and the Legislative Assembly and the members of the Legislative Council do not participate in the election of the President.

Q.3 When the offices of the President and Vice-President fall vacant simultaneously, who acts as President?

जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर 'राष्ट्रपति' के रूप में कौन कार्यरत होगा ?

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

(a) Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री

(b) The Chief Justice of India / भारत का मुख्य न्यायाधीश

(c) The Speaker of Lok Sabha / लोक सभा अध्यक्ष

(d) The Comptroller and Auditor General of India/ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

President
↓
Vice-President
↓
Chief Justice Of India
↓
SC Judge (Senior Most)

- संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं- (1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, (2) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, (3) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा अंतःस्थापित)। संसद (लोक सभा तथा राज्य सभा) और विधान सभा के नामांकित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
- Article 54 of the Constitution provides for the members of the Electoral College of the President. It consists of the following members- (1) Elected members of both Houses of Parliament, (2) Elected members of State Assemblies, (3) Elected members of Delhi and Puducherry Legislative Assemblies (inserted by 70th Constitutional Amendment, 1992). The nominated members of the Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) and the Legislative Assembly and the members of the Legislative Council do not participate in the election of the President.

Q.4 Who acts as the President during casual vacancy that arises due to death of the President?

राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 19 मार्च, 2020 (I-पाली)

20

(a) Lok Sabha Speaker/लोक सभा अध्यक्ष

(b) Chief Justice of India/भारत के मुख्य न्यायाधीश

(c) Vice-President/उप-राष्ट्रपति

(c) Nominated Lok Sabha Member/नामित लोकसभा सदस्य

Q.5 Who assumes the office of the President after the death of the President, resignation and removal of office by the process of impeachment?

राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 19 मार्च, 2020 (I-पाली)

Ex-officio Chairman — Vice President

20

(a) राज्य सभा का सभापति/ Chairman of Rajya Sabha

(b) लोक सभा अध्यक्ष/Lok Sabha Speaker

(c) राज्य सभा का उपसभापति/Deputy Chairman of Rajya Sabha

(d) लोक सभा उपाध्यक्ष/Lok Sabha Deputy Speaker

Q.6 To whom does the President address his resignation letter?

राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है ?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 19 मार्च, 2020 (I-पाली)

20

(a) Vice President / उप-राष्ट्रपति

(b) Prime Minister / प्रधानमंत्री

(c) Speaker, Lok Sabha / अध्यक्ष, लोक सभा

(d) Chief Justice of Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

- अनुच्छेद 56 (1) (क) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को तुरंत देता है [अनुच्छेद 56 (2)]
- According to Article 56 (1) (a), the President of India tenders his resignation by addressing it to the Vice President and the Vice President immediately informs the Speaker of the Lok Sabha [Article 56 (2)]

Q.7 Who is the head of the executive according to the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है ?

S.S.C. ऑनलाइन स्टेनोग्राफर, 13 सितंबर 2017 (I- पाली)

20

(a) प्रधानमंत्री/Prime Minister

(b) भारत सरकार का मुख्य सचिव/Chief Secretary to the Government of India

(c) राष्ट्रपति/President

(d) केंद्रीय गृहमंत्री /Union Home Minister

- संविधान के अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
- As per Article 53(1) of the Constitution, the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers under Article 74(1). According to Article 75(1), the Prime Minister is appointed by the President.

Q.8 Which of the following Articles of the Constitution of India is related to the oath or affirmation by the President?

निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है ?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 12 अगस्त, 2021 (III-पाली)

20

CJI

(a) Article 66/ अनुच्छेद 66

(b) Article 57 / अनुच्छेद 57

(c) Article 54 / अनुच्छेद 54

(d) Article 60 / अनुच्छेद 60

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को संदर्भित करता है। जबकि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तथा अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति को संदर्भित करता है।
- Article 60 of the Indian Constitution refers to the oath or affirmation by the President. While Article 54 refers to the election of the President, Article 61 to the process of impeachment of the President and Article 63 to the Vice President of India.

Q.9 President of India can be removed from his office by–

भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ?

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (II- पाली)

20

(a) Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री

(b) Chief Justice of India/भारत के मुख्य न्यायाधीश

(c) Parliament / संसद

(d) Lok Sabha / लोक सभा

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड (1) के उपखंड (ख) के अनुसार, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों (लोक सभा तथा राज्य सभा) में शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 61 (1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों की पूर्व लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए। संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम-से-कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।

- According to sub-clause (b) of clause (1) of Article 56 of the Constitution of India, the President can be removed by the process of impeachment by Parliament in the manner provided in Article 61 for violating the Constitution. The process of impeachment of the President of India can be initiated in both the Houses of the Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha). According to Article 61(1), the charge of impeachment of the President shall be leveled by one House of the Parliament and according to Article 61(3), the other House shall investigate or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to be present or to be represented in such investigation. Will happen. Such allegation should be in the form of a resolution and should be presented after giving prior written notice of 14 days. The resolution must be proposed by at least 1/4th of the members of the House in which it is presented and must be passed by a majority of 2/3rd of the total membership.

Q.10 Who can initiate the process of removing the President before his term is over?
राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 10 जनवरी, 2017 (III - पाली)

20

(a) लोक सभा/Lok Sabha
(b) सामान्य नागरिक/common citizen
(c) सर्वोच्च न्यायालय /Supreme Court
(d) संसद सदस्य/member of parliament

Q.11 Who can initiate the process of removing the President before his term is over?
भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन-सा प्रस्ताव पारित किया जाता है?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 10 जनवरी, 2017 (III - पाली)

20

H/W

(a) कटौती प्रस्ताव/Cut motion

(b) प्रतिबंध प्रस्ताव/Ban resolution

(c) अविश्वास प्रस्ताव/No confidence motion

(d) महाभियोग प्रस्ताव/impeachment motion

Q.12 What does Article 61 of the Indian Constitution deal with ?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है ?

S.S.C. ऑनलाइन M.T.S. (T-I) 13 अक्टूबर, 2021 (III-पाली)

20

(a) National Emergency/राष्ट्रीय आपातकाल

(b) Impeachment of the President/ राष्ट्रपति का महाभियोग

(c) Fundamental Duties/मौलिक कर्तव्य

(d) Financial Emergency/वित्तीय आपातकाल

Q.13 All doubts and disputes in connection with election of the President are inquired into and decided by______ .

राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच-पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं?

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (III- पाली)

20

(a) the Election Commission/चुनाव आयोग

(b) the Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय

(c) the Parliament / संसद

(d) Prime Minister / प्रधानमंत्री

- भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद एवं संदेहों की जांच-पड़ताल व निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 (1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- All disputes and doubts related to the election of the President in India are investigated and decided by the Supreme Court under Article 71 (1) of the Constitution of India and the decision given by the Supreme Court will be final.

Q.14 In which way the President can assign any of the functions of the Union Government to the State Government?

राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से, राज्य सरकार को सौंप सकते हैं?

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (III- पाली)

20

(a) In his discretion /अपने विवेक से

(b) In consultation with the Chief Justice of India/ भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

(c) In consultation with the Government of the State / राज्य सरकार से परामर्श करके

(d) In consultation with the State Governor / राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके

Q.15 Emergency provisions in the Indian Constitution are ________.
भारतीय संविधान में आपात उपबंध ________ हैं।

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

20

(a) ब्रिटिश संविधान/British Constitution

(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935/Government of India Act, 1935

(c) आयरिश संविधान /Irish Constitution

(d) जापानी संविधान/Japanese Constitution

- भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।
- Emergency provisions in the Indian Constitution have been taken from the Government of India Act, 1935.

Q.16 According to the Indian Constitution, who has the power to declare emergency?
भारतीय संविधान के अनुसार, आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है?

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

20

(a) Prime Minister / प्रधानमंत्री को

(b) President/ राष्ट्रपति को

(c) Chief Justice/मुख्य न्यायमूर्ति

(d) Parliament / संसद को

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति विद्यमान है, तो वह आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्यों में आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और अनुच्छेद 360 में आर्थिक आपातकाल का उल्लेख किया गया है।
- Under Article 352(1) of the Constitution of India, if it appears to the President that a situation of war, external aggression and armed rebellion exists, he can declare a state of emergency. Article 352 of the Indian Constitution deals with national emergency, Article 356 deals with state emergency (President's rule) and Article 360 deals with economic emergency.

Q.17 What is Article 356 of the Indian Constitution about?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है ?

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

20

(a) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत/Directive Principles of State Policy

(b) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना / Imposition of President's rule in the state

(c) शासकीय भाषा के रूप में हिंदी/ Hindi as official language

(d) कश्मीर को विशेष दर्जा/ Special status to Kashmir

Q.18 If the President declares an emergency, the proclamation must be ratified by the Parliament within ______.

यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा______ के भीतर समर्थन देना जरूरी है।

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 21 जनवरी, 2017 (II - पाली)

20

(a) 1 साल /1 year

(b) 6 माह /6 months

(c) 3 माह/3 months

(d) 1 माह/1 month

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना आवश्यक है। संसद द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित कर दिये जाने पर उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। आगे जारी रखने के लिए उसका पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति तीन आधारों पर आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ये आधार हैं- 1. युद्ध, 2. बाह्य आक्रमण तथा 3. सशस्त्र विद्रोह।
- According to Article 352 of the Constitution of India, after the proclamation of National Emergency by the President, this proclamation is required to be ratified by each House of the Parliament within one month. If approved by the Parliament within 1 month, the proclamation will remain in force for 6 months. His/her re-approval will be necessary to continue further. According to Article 352 of the Indian Constitution, the President can declare emergency on three grounds. These grounds are- 1. war, 2. external aggression and 3. armed rebellion.

Q.19 For how long can Financial Emergency be imposed?
वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है ?

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I- पाली)

20

(a) 6 महीने/ 6 months

(b) 12 महीने/12 months

(c) 24 महीने/24 months

(d) कोई अधिकतम अवधि नहीं/ no maximum period

- राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है, तो वह अनिश्चितकाल तक बनी रह सकती है। अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक।
- The President can declare financial emergency under Article 360 in case of economic crisis. In the first phase, the proclamation remains in force for two months. If it is approved by resolutions of both the Houses of the Parliament, it can continue indefinitely. That is, until it is withdrawn.

Q.20 How many times national emergency has been implemented in India after independence?

भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है ?

20

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I- पाली)

(a) एक बार/once

(b) दो बार/twice

(c) तीन बार/thrice

(d) चार बार/four times

- अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन अघोषित युद्ध युद्ध के समय, दूसरा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1971 में में एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में की गई। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 1352 के आंतरिक अशांति' के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन (1978) से 'सशस्त्र विद्रोह' प्रतिस्थापित किया गया है।
- The first emergency proclamation under Article 352 was made in the year 1962 at the time of China's undeclared war, the second by Pakistan in the year 1971 and the third in the year 1975 on the basis of internal disturbance. It may be noted that in place of 'internal disturbance' in Article 1352 of the original Constitution, 'armed rebellion' has been substituted by the 44th Constitutional Amendment (1978).

Q.21 Who among the following was the President of India at the time of the declaration of National Emergency in 1975?

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे?

S.S.C. ऑनलाइन MTS (T-I) 11 अक्टूबर, 2021 (III- पाली)

20

(a) फखरुद्दीन अली अहमद/Fakhruddin Ali Ahmed

(b) जाकिर हुसैन/Zakir Hussain

(c) नीलम संजीव रेड्डी/Neelam Sanjeeva Reddy

(d) वराहगिरि वेंकट गिरि/Varahgiri Venkatagiri

- वर्ष 1975 ई. से वर्ष 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद (कार्यकाल -24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977) थे।
- Between 1975 and 1977, the National Emergency was declared during the time of the then Prime Minister Indira Gandhi. The President at that time was Fakhruddin Ali Ahmed (tenure - 24 August 1974 to 11 February 1977).